2019/00094

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट व 136 एलआर एक्ट नं 50 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र जाति दुरूस्ती बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का गजनेर की रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक गजनेर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गजनेर तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2072 से 2075 में खाता संख्या 141 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	गजनेर	141	देवकुमारी सिंह पत्नि योगेन्द्र सिंह सा. के. जी. काम्पलेक्स के पास रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर खातेदार	देवकुमारी सिंह पत्नि योगेन्द्र सिंह जाति सिंह सा. के. जी. काम्पलेक्स के पास रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व ~~लूणकरनसर~~ कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner